



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1942 (श०)

(सं० पटना 639) पटना, बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर 2020

वित्त विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर 2020

सं० 1/स्था०(ले०से०)-02/2014/4928/वि०, भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा **बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा** में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-

- (1) यह नियमावली **“बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा नियमावली, 2020”** कही जा सकेगी ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ :- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

- (i) **‘सरकार’** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (ii) **‘राज्यपाल’** से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
- (iii) **‘विभाग’** से अभिप्रेत है वित्त विभाग, बिहार सरकार;
- (iv) **‘विभागाध्यक्ष’** से अभिप्रेत है आयुक्त (वित्तीय प्रशासन), वित्त विभाग;
- (v) **‘आयोग’** से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
- (vi) **‘राज्य’** से अभिप्रेत है बिहार राज्य;
- (vii) **‘सेवा’** से अभिप्रेत है बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा;
- (viii) **‘सेवा के सदस्य’** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति इस सेवा के किसी पद पर मौलिक या अस्थायी रूप से इस नियमावली/इसके पूर्ववर्ती नियमावली के उपबंधों के अधीन की गई हो, और इसमें इस नियमावली के नियम-4 के अधीन नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति सम्मिलित हैं;
- (ix) **‘सरकारी सेवा’** से अभिप्रेत है बिहार सरकार के अधीन सेवा;
- (x) **‘संवर्ग’** से अभिप्रेत है एक पृथक ईकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के पद एवं स्वीकृत पद बल;
- (xi) **‘अनुसूची’** से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ।

3. सेवा का गठन एवं संरचना ।—

- (i) यह सेवा वित्त विभाग के प्रशासी नियंत्रण में राज्य स्तरीय राजपत्रित सेवा होगी । इस सेवा के आयुक्त (वित्तीय प्रशासन) एवं निदेशक (कोषागार एवं लेखा) का पद गैर संवर्गीय पद होगा जिसपर पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जा सकेगा । इस सेवा के विभागाध्यक्ष आयुक्त (वित्तीय प्रशासन) होंगे ।
- (ii) इस संवर्ग की 4 प्रशाखाएँ होगी ।— कोषागार एवं लेखा निदेशालय, भविष्य निधि निदेशालय, विभागीय वित्त प्रकोष्ठ एवं जिला वित्त प्रकोष्ठ । इस संवर्ग के विभिन्न स्तरों के पदों की सूची **अनुसूची-1** के रूप में संलग्न है ।
- (iii) उप-नियम-(ii) के अधीन परिलक्षित कोटियों में सेवा के प्रत्येक संवर्गीय पद की पूर्ति कोटि के संवर्गीय पदाधिकारी द्वारा की जायेगी । परंतु किसी भी स्तर पर, संवर्गीय पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में, बिहार वित्त सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार अंकक्षण सेवा, महालेखाकार कार्यालय अथवा भारत सरकार के किसी संगठित लेखा सेवा के पदाधिकारियों से, प्रतिनियुक्त द्वारा, अवधि विशेष के लिए भरा जा सकेगा ।
- (iv) संवर्गीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ।— संवर्गीय पदाधिकारियों को (क) राज्य सरकार के किसी भी विभाग में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित किया जा सकेगा, (ख) राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी, व्यक्तियों के संगम, या निकाय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय आदि संस्थानों के अधीन प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी ।

परंतु किसी भी संवर्गीय पदाधिकारी को किसी ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा, जिसके वेतनमान का अधिकतम उस पदाधिकारी द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतन से कम हो जो वह अपने संवर्ग के धारित पद पर प्राप्त करता हो ।

- (v) राज्य सरकार समय-समय पर, संवर्गीय बल का निर्धारण करेगी और इस संवर्ग के अधीन अतिरिक्त पदों के सृजन/विलोपन की मंजूरी भी दे सकेगी ।
- (vi) संवर्गीय पदों का वेतनमान/वेतन-स्तर वही होगा, जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय ।

4. भर्ती के स्रोत ।— मूल कोटि के पदों पर भर्ती निम्न प्रकार से की जा सकेगी:—

- (i) **सीधी भर्ती** — किसी वर्ष में 01 अप्रैल की स्थिति के आधार पर विद्यमान मूल कोटि के पदों की रिक्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकेंगे ।
- (ii) **समायोजन द्वारा भर्ती**— वित्त विभाग के नियंत्राधीन राष्ट्रीय बचत सेवा के पदाधिकारी जो इस सेवा के मूल कोटि के वेतनस्तर के होंगे, को बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा संवर्ग के मूल कोटि में समायोजित किया जा सकेगा ।

5. आरक्षण ।— सेवा में भर्ती/प्रोन्नति में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित आरक्षण एवं रोस्टर नियमों का अनुपालन किया जा सकेगा ।

6. रिक्तियों का विनिश्चय ।— विभाग प्रत्येक कैलेंडर (पंचांग) वर्ष की 01 अप्रैल को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की आरक्षण कोटिवार संख्या अलग-अलग निर्धारित करेगा तथा 30 अप्रैल तक उसे आयोग को अध्याचित करेगा ।

7. रिक्तियों का भरा जाना ।—

- (i) आयोग रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त करने, परीक्षा आयोजित करने, अनुशंसा करने आदि के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं कर सकेगा । सेवा के मूल पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्था से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा ।
- (ii) रिक्तियों को भरने हेतु आयोग परीक्षा का संचालन करेगा और परीक्षा के लिए उम्र सीमा, न्यूनतम अर्हताएं, पाठ्यक्रम, प्रक्रिया आदि वही होंगे जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनिश्चित किया गया हो ।
- (iii) आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा— आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा । आयोग मेधा सूची से अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटिवार उतनी संख्या की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी रिक्तियों की संख्या अध्याचना की गयी हो ।

8. वरीयता ।—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों की आपसी वरीयता अयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमानुसार अवधारित होगी ।
- (ii) सेवा के प्रोन्नति के पदों पर वरीयता प्रोन्नति आदेश के क्रमानुसार निर्धारित होगी ।

9. परीक्षा ।—

- (i) सेवा के मूल कोटि में नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारी को पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परीक्षा पर रखा जा सकेगा ।
- (ii) परीक्षा अवधि में कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर इसे एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा । विस्तारित अवधि में भी कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

10. विभागीय परीक्षा ।— सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारी को निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी । विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद, बिहार द्वारा किया जायेगा ।

11. प्रशिक्षण ।— इस सेवा में नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारी को विभिन्न चरणों में गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य से बाहर नियत अवधि के लिए भेजा जा सकेगा । प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम, प्रक्षेत्र, स्थल, चरण आदि वित्त विभाग विहित कर सकेगा ।

12. संपुष्टि ।— परीक्षा अवधि पूरी होने पर, पदाधिकारी की सेवा तभी संपुष्टि की जायेगी जब उसने नियम-11 में उपबधित प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो तथा सरकार विनिश्चय करे कि वह संपुष्टि के योग्य है । विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तिथि अथवा परीक्षा अवधि पूरा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से सेवा संपुष्टि की जायेगी ।

13. वेतन/वार्षिक वेतन वृद्धि ।— इस सेवा के पदाधिकारियों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान अनुमान्य होगा । पहली वार्षिक वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा का हिन्दी पत्र उत्तीर्ण होने पर देय होगी । तत्पश्चात् दूसरी एवं आगे की वार्षिक वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं सम्पुष्टि के पश्चात् देय हो सकेगी ।

14. प्रोन्नति ।—

- (i) कोई भी पदाधिकारी प्रोन्नति हेतु तब तक योग्य नहीं समझा जायेगा जबतक वह सेवा में सम्पुष्टि न हो ।
- (ii) मूल कोटि से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों के बीच से योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, दी जा सकेगी ।
- (iii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जा सकेगा ।
- (iv) विभिन्न उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु कालवधि वही होगी जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो ।
- (v) प्रोन्नति के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्र/अधिसूचना का अनुपालन किया जा सकेगा ।
- (vi) बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के विभिन्न स्तरों में प्रोन्नति हेतु रिक्ति का निर्धारण प्रतिनियुक्ति हेतु सुरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए किया जा सकेगा ।

15. शिथिलीकरण की शक्ति ।— जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से व्यक्ति या पद के किसी वर्ग या कोटि के संबंध में इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा ।

16. प्रकीर्ण विषय ।— इस नियमावली या इसके अधीन जारी किये गये आदेशों से अनाच्छादित मामलों के संदर्भ में इस सेवा के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिकों के संबंध में लागू संहितायें/नियमावली/संकल्प/अनुदेश द्वारा शासित होंगे ।

17. निर्वचन ।— इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् किया गया विनिश्चय अंतिम होगा ।

18. विनियमावली बनाने की शक्ति ।— इस नियमावली में विहित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विनियमावली का गठन किया जा सकेगा ।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति ।—

- (i) बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं इस सेवा के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।

अनुसूची-I
बिहार वित्तीय सेवा का पद सोपान

मूल कोटि	
(i)	सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
(ii)	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी
(iii)	सहायक कोषागार पदाधिकारी
(iv)	सहायक आयुक्त (भविष्य निधि)
(v)	सहायक बजट नियंत्रक
(vi)	वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी
(vii)	सहायक निदेशक (कोषागार एवं लेखा)
प्रथम प्रोन्नति स्तर (वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं समकक्ष)	
(i)	वरीय कोषागार पदाधिकारी
(ii)	जिला लेखा पदाधिकारी
(iii)	अवर बजट नियंत्रक-सह-अवर सचिव
(iv)	वित्त पदाधिकारी
द्वितीय प्रोन्नति स्तर (उपायुक्त एवं समकक्ष)	
(i)	उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव
(ii)	उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन)
(iii)	उप-निदेशक (भविष्य निधि)
(iv)	उप-निदेशक (कोषागार एवं लेखा)
(v)	आंतरिक वित्तीय सलाहकार
(vi)	वरीय वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी
तृतीय प्रोन्नति स्तर (संयुक्त आयुक्त एवं समकक्ष)	
(i)	वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार
(ii)	संयुक्त बजट नियंत्रक-सह-संयुक्त सचिव
(iii)	संयुक्त आयुक्त (वित्तीय प्रशासन)
(iv)	वित्तीय सलाहकार

निदेशक (कोषागार एवं लेखा) वेतन स्तर-13A			
1	निदेशक (कोषागार एवं लेखा)	1	कोषागार एवं लेखा निदेशालय में। (गैर संवर्गीय पद। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा सेवा से भरा जायेगा। अनुपलब्धता की स्थिति में बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा से चयन के माध्यम से भरा जायेगा।)
आयुक्त (वित्तीय प्रशासन) वेतन स्तर-14			
1	आयुक्त (वित्तीय प्रशासन)	1	गैर संवर्गीय पद जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा या भारत सरकार के किसी संगठित लेखा सेवा के सुपर टाइम वेतनमान के पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।

The 23rd September 2020

No. 1/Stha(L.S.)-02/2014-4928/वि०—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby make the following rules to regulate the mode of recruitment and conditions of service of the Bihar Financial Administration Service.

1. Short title, extend and commencement:-

- (1) These rules may be called the Bihar Financial Administration Service Rules, 2020.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

2. Definitions:-In these rules, unless the context requires otherwise:-

- (i) **'Government'** means the Government of Bihar;
- (ii) **'Governor'** means the Governor of Bihar;
- (iii) **'Department'** means Department of Finance, Government of Bihar;
- (iv) **'Head of Department'** means commissioner (Financial Administration), Department of Finance;
- (v) **'Commission'** means the Bihar Public Service Commission;
- (vi) **'State'** means State of Bihar;
- (vii) **'Service'** means Bihar Financial Administration Service;
- (viii) **'Member of the Service'** means a person who has been appointed under this service on any post in substantive or temporary capacity under the provision of this Rules/prior Rules and this includes persons who have been appointed and working under rule 4 of this Act;
- (ix) **'Government Service'** means Service under the Government of Bihar;
- (x) **'Cadre'** means the sanctioned strength of service as a separate unit;
- (xi) **'Schedule'** means schedule annexed with these rules.

3. Constitution of the service:-

- (i) This cadre shall be, under the administrative control of Finance Department, a state level gazetted service. The post of Commissioner (Financial Administration) and Director shall be ex-cadre post which shall be filled by General Administration Department. Head of Department shall be Commissioner (Financial Administration).
- (ii) There will be mainly 4 sections of this cadre:- Treasury and Accounts Directorate, Provident fund Directorate, Departmental Finance cell and District Finance cell. List of posts under different levels of this cadre is annexed as schedule-I.
- (iii) Cadre posts of each grade under sub rule (ii) shall be filled by cadre officers. In case of non-availability of an officer in the cadre at any level, officers of Bihar Finance Service, Bihar Administrative Service, Bihar Audit Service, Accountant General Office or any organised Account Service of Government of India may be posted against the vacant posts on deputation for a particular period.
- (iv) Deputation of cadre officers- cadre officers can be-
 - (a) Deputed/Posted in any of the department of the Government.
 - (b) Deputed in a company fully or partially owned or controlled by the Government, Association, Body, Nagar Nigam, Local Body, Board, Committee, University etc.
But the cadre officers shall not be deputed to any post, the highest of pay scale of which, is less than, the pay being drawn by the officer against the post held by him under the cadre.
- (v) Government shall, from time to time, determine the cadre strength and may create additional posts under this cadre.
- (vi) Pay scale of the cadre posts shall be same as determined by the Finance Department, Government of Bihar from time to time.

4. Sources of recruitment.— *Recruitment on the posts of basic grade shall be done in the following manner:-*

- (i) Direct Recruitment:- Vacancies can be filled by direct recruitment on the recommendation of the commission on the basis of vacancies available in the basic grade as on 01 April in a calendar year.
- (ii) Recruitment by Adjustment:- Officer's of the National Savings Service, under the control of Finance Department, who are in the Pay Scale of the basic grade of this Service shall be adjusted in the basic grade of Financial administration service.

5. Reservation.—Reservation and Roster rules prescribed by the General Administrative Department shall be followed in recruitment.

6. Determination of Vacancies.—Department shall determine the number of posts for each reservation category as on 1st April of every calendar year and shall send requisition to the Commission on 30th of every April.

7. Filling of Vacancies:-

- (i) Commission shall determine the required process regarding inviting of application, conduct of examination and making of recommendation as it thinks fit. It will be essential for candidates for appointment to the basic grade of this service to have bachelor's degree in Commerce, Economics, Mathematics or Statistics from a recognised University or an Institution affiliated to it.
- (ii) Examination to fill up the vacancies shall be conducted by the Commission and the age limit, minimum eligibility, syllabus and procedure will be same as prescribed for Combined Competitive Examination.
- (iii) Recommendation of Candidates by the Commission:- Commission shall prepare a merit list on the basis of marks obtained in written and viva-voce examination of Combined Competitive Examination. Commission shall recommend, reservation category wise, from the merit list, that many number of candidates as per the requisition of vacancies made by the State Government.

8. Seniority:-

- (i) The inter-se Seniority of the direct recruits shall be determined in accordance with the merit list prepared by the Commission.
- (ii) Seniority on the posts of promotion of this Service shall be determined on the basis of chronology of the promotion order.

9. Probation:-

- (i) Every officer, appointed to the basic grade of the Service, shall be on probation for a period of two years from the date of joining.
- (ii) Probation period shall be extended for a year if work or Conduct is not found satisfactory. Service shall be terminated if the work or Conduct is not found Satisfactory even during the extended period.

10. Departmental Exam.—Every officer appointed through direct recruitment shall have to pass the prescribed departmental examination. The subject, syllabus, process and conduct of departmental examination shall be determined by Central Examination Council (केन्द्रीय परीक्षा समिति), Board of Revenue, Bihar.

11. Training.—Every officer appointed in this Service shall undergo an intensive training in various stages and shall be liable to be sent on training within or outside the state for such period as the State Government may determine. Programme, Sector, Place, Stages of training will be prescribed by the Department of Finance Government of Bihar.

12. Confirmation.—On Completion of the probation period, an officer shall be confirmed, only, When he has under gone the training as prescribed in Rule-11 and passed the prescribed departmental examination and if the government considers him fit for Confirmation. Service shall be confirmed on the date of passing the Departmental Examination or Completion of probation period, whichever is later.

13. Pay/Annual Increment.—The pay scale for the officer of this Service will be determined by the Government from time to time. First increment will become due after passing the departmental Hindi examination. Second and Subsequent annual increment will become due after passing the Departmental Examination and Confirmation of Service.

14. Promotion:-

- (i) No officer shall be considered for promotion unless he is confirmed in this Services.
- (ii) Promotion of Officers of Bihar Financial Administration Service from basic grade to higher posts shall be done on the basis of merit-cum-seniority on the recommendation of Departmental Promotion Committee.
- (iii) Departmental Promotion Committee shall be Constituted by the Department through a separate order.
- (iv) Time period for promotion to different higher posts shall be same as has been determined by government (General Administration Department) from time to time.
- (v) Resolution/circular/notification issued from time to time by General Administration Department shall be adhered to in respect of promotion.
- (vi) Vacancies, at different levels in Bihar Financial Administration Service, shall be determined by taking into account the deputation reserve posts.

15. Power of relaxation.— Any provisions of these rules can be relaxed by written reasons in respect of any person or post of any class or Cadre where in the opinion of the government it is necessary or right to do so.

16. Miscellaneous.—Matters which are not covered under these rules or orders issued under these rules in respect of member/members of this service shall be governed by Code/Manual/Resolution/Instructions issued by the government in respect of similar situated employees.

17. Interpretation.—In case of any doubt regarding any provision of these rules, the subject shall be referred to the department and the decision taken by the department in consultation with the law department shall be final.

18. Power to make Regulation.—The State Government shall make regulations to execute the provisions prescribed under these rules.

19. Repeal and Saving:-

- (i) Bihar Account Service Rules, 2000 (as amended from time to time) stands repealed along with resolutions/rules/orders by the department under that rules.
- (ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the power conferred by the regulations/resolutions/orders under the provisions of Bihar Accounts Service rules, 2000 (as amended from time to time) shall be deemed to have been done or taken under this rule or the power conferred under this rule, as if, these rules were in force on that date, on which such thing was done or such action was taken.

By the Order of the Governor of Bihar,
Dr. S. Siddharth,
Principal Secretary.

SCHEDULE-I
CADRE STRUCTURE OF BIHAR FINANCIAL ADMINISTRATION SERVICE

BASIC GRADE	
(i)	Assistant Internal Financial Advisor
(ii)	Assistant District Accounts officer
(iii)	Assistant Treasury Officer
(iv)	Assistant Commissioner (GPF)
(v)	Assistant Budget Controller
(vi)	Financial Administrative Officer
(vii)	Assistant Director (Treasury & Accounts)
FIRST PROMOTION LEVEL (Senior Treasury Officer & Equivalent)	
(i)	Senior Treasury Officer
(ii)	District Accounts Officer
(iii)	Sub Budget Controller-cum-Under Secretary
(iv)	Finance Officer
SECOND PROMOTION LEVEL (Deputy Commissioner & Equivalent)	
(i)	Deputy Budget Controller-cum-Deputy Secretary
(ii)	Deputy Commissioner (Financial Administration)
(iii)	Deputy Director (GPF)
(iv)	Deputy Director (Treasury & Accounts)
(v)	Internal Financial Advisor
(vi)	Senior Financial Administrative Officer
THIRD PROMOTION LEVEL (Joint Commissioner & Equivalent)	
(i)	Senior Internal Financial Advisor
(ii)	Joint Budget Controller
(iii)	Joint Commissioner (Financial Administration)
(iv)	Financial Advisor

Director (Treasury & Accounts) Level-13A			
1	Director (Treasury & Accounts)	1	Treasury & Accounts, Directorate, (Ex-cadre post) This post shall be filled by an officer of Indian Administrative Service or Indian Audit/Account Service. In case of non-availability shall be filled by an officer of Financial Administration Service by selection
Commissioner, Financial Administration (Level-14)			
1	Commissioner, Financial Administration	1	Ex-cadre post which will be filled by an officer, of super time scale, of Indian Administrative Service, Indian Audit Service or any organised Account Service of Government of India.

By the Order of the Governor of Bihar,
Dr. S. Siddharth,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 639-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>